दिनांक–09.03.2018 को प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में हस्तकरघा प्रक्षेत्र में कार्यान्वित योजनाओं की मासिक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– पंजी के अनुसार

बुनकरों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नवत् निदेश दिये गये:–

क्र0	कार्यावली के बिन्दु (राज्य योजना)	समीक्षा के बिन्दु	बैठक में दिये गये निदेश
1	हस्तकरघा सर्वेक्षण (UID)	संबंधित जिलों के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से योजना क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा हेतु प्रगति प्रतिवेदन (अनुसूची–I) सभी संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को योजनान्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि का विहित प्रपत्र में डी0सी0 विपत्र समर्पित किये जाने हेतु निदेश दिया जा सकता है। साथ ही विभागीय वेबसाईट पर यू0आई0डी0 का विस्तृत प्रतिवदन अपलोड करने हेतु विहित प्रपत्र में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्रतिवेदन की मॉग की जा सकती है।	कार्यरत हस्तकरघा की सूचनाएँ एकत्रित करने एवं हस्तकरघा पर यूनिक आईडेन्टिफिकेशन संख्या अंकित करने संबंधी योजना में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर एवं पटना द्वारा छूटे हुए हस्तकरघा पर यू0आई0डी0 संख्या अंकित किये जाने की जानकारी दें। निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम द्वारा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद, भागलपुर, कैमूर, मधुबनी, नवादा, पटना एवं सिवान को दि0 30.03.2018 तक कार्य समाप्ति का अंतिम प्रतिवेदन एवं विहित प्रपत्र में यू0आई0डी0 उत्कीर्ण किये गये बुनकरों को ऑकडा हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही डी0सी0 विपत्र सभी मूल अभिश्रवों के साथ निदेशालय को एक पक्ष के अन्दर भेजने का निदेश दिया गया। *(अनुपालन– संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र)*
2	टेक–अप मोशन सहित 68 ईंच फ्रेम लूम उपलब्ध कराने की योजना	योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2017–18 में स्वीकृत 135.00 लाख रू0 में से 125.00 लाख रू0 योजना के क्रियान्वयन एजेंसी बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना को उपलब्ध करा दिया गया है। शेष राशि रू0 10.00 लाख रू0 की व्यवस्था तृतीय अनुपूरक से की जा रही है। यह राशि भी क्रियान्वयन एजेंसी को उपलब्ध करा दी जायेगी। समीक्षा हेतु योजना के क्रियान्वयन एजेंसी से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन संलग्न अनुसूची– 'क' **(समीक्षा– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना)**	प्रबंध निदेशक, राज्य संघ द्वारा बताया गया कि पटना एवं मधुबनी में क्रमशः 7–7 लूम तथा नालन्दा में 10 लूम का वितरण कर दिया गया है। योजना क्रियान्वयन की धीमी प्रगति पर प्रधान सचिव द्वारा काफी नाराजगी व्यक्त की गई तथा योजना क्रियान्वयन में गति लाने एवं आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति किये गये लूम का मूल्य समय पर भुगतान करने का निदेश दिया गया। कई जिलों के महाप्रबंधक यथा भागलपुर/नालन्दा/सिवान एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना द्वारा योजना क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों की चर्चा करते हुए संबंधित राज्यादेश में महत्वपूर्ण संशोधन करने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में उनकी पहली मॉग थी कि सतरंगी चादर बुनाई कार्य में लगे हस्तकरघा बुनकरों के अलावा वैसे हस्तकरघा बुनकरों को भी इस योजना का लाभ देने हेतु पात्र बना दिया जाय जो सतरंगी चादर बुनाई कार्य करना चाहते हैं। उन्हें बताया गया कि सतरंगी चादर बनाने वाले हस्तकरघा बुनकरों को ही 68 ईंच फ्रेम लूम (टेक–अप मोशन सहित) योजना का लाभ दिया जाय, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। एक अन्य मॉग यह भी किया गया कि योजना के दिशा–निर्देश के अनुसार प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति के सदस्य हस्तकरघा बुनकरों को ही 68 ईंच फ्रेम लूम (टेक–अप मोशन सहित) योजना का लाभ देय है। इसे शिथिल करते हुए व्यक्तिगत हस्तकरघा बुनकर को भी इस योजना का लाभ देने हेतु शामिल किया जाय। संबंधित राज्यादेश में आवश्यक संशोधन करने की दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। (*अनुपालन*– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना/निदेशालय, हस्तकरघा एवं रेशम)

3	पुल फंड / बफर फंड योजना	सतरंगी चादर उत्पादन में लगे बुनकर के मजदूरी के भुगतान में प्रक्रियागत विलम्ब होने की स्थिति में उन्हें ससमय मजदूरी का भुगतान तथा परफॉरमेन्स सेक्यूरिटि हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में पुल फण्ड / बफर फण्ड के रूप में रू0 200.00 लाख योजना के क्रियान्वयन एजेंसी बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ, राजेन्द्रनगर, पटना को उपलब्ध करा दिया गया है। समीक्षा हेतु संलग्न प्रगति प्रतिवेदन अनुसूची– 'ख' **(समीक्षा– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना)**	योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि रूपया 200.00 लाख के संबंध में प्रबंध निदेशक, राज्य संघ द्वारा बताया गया कि बुनकरों की मजदूरी पर 1,17,28,885 / – रूपया तथा बैंक परफॉरमेन्स गारंटी मद में रूपया 54,25,200 / – व्यय किया गया है। शेष राशि रू0 28,45,915 / – राज्य संघ के खाते में जमा है। राज्यादेश में वर्णित शर्तों के अनुरूप नियमानुसार राशि का व्यय करते हुए आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। **(*अनुपालन*– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना)**
4	ई–धागा एप / ई0आर0पी0 सिस्टम के माध्यम से एन0एच0डी0सी0 द्वारा लाभुक एजेंसियों को सूत उपलब्ध कराये जाने की योजना	लाभुक एजेंसियों के स्तर से ई–धागा एप / ई0आर0पी0 सिस्टम के माध्यम से एन0एच0डी0सी0 को भेजे गये माँग एवं प्राप्त सूत का प्रतिवेदन हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय में उपलब्ध कराने का निदेश दिया जा सकता है। इस संबंध में लाभुक एजेंसियों से कोई भी सूचना / प्रतिवेदन अप्राप्त है। **(समीक्षा– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना / दि बिहार स्टेट शीप एण्ड ऊल विभर्स को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, राजवंशीनगर, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, भागलपुर / नालन्दा / सिवान / मधुबनी)**	शाखा कार्यालय– एन0एच0डी0सी0, उद्योग मित्र, पटना के सहायक प्रबंधक (वाणिज्य) श्री अम्बरीश कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि योजनान्तर्गत क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, भागलपुर एवं बिहारशरीफ में क्रमशः 1.79 लाख रू0 एवं 1.90 लाख रू0 मूल्य के सूत की आपूर्ति की गई है। क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, सिवान एवं मधुबनी से माँग पत्र प्राप्त हुआ है। परन्तु अग्रिम राशि एन0एच0डी0सी0 को उपलब्ध नहीं कराया गया है। शीर्ष संघों से माँग पत्र अप्राप्त है। एक सप्ताह के अन्दर शीर्ष संघ, राजेन्द्रनगर, पटना / राजवंशी नगर, पटना के प्रबंध निदेशक एवं क्षेत्रीय संघ, भागलपुर / बिहारशरीफ / सिवान / मधुबनी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। **(*अनुपालन*– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना / दि बिहार शीप एण्ड ऊल विभर्स को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, राजवंशीनगर, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, भागलपुर / नालन्दा / सिवान / मधुबनी)**
5	हैण्डलूम मार्क निबंधन की योजना	सहायक निबंधक (बुनकर) को पत्रांक 1889 दि0 27.12.17 द्वारा छपरा, मोतिहारी, अरवल, बक्सर, भोजपुर, पूर्णियां, अररिया एवं किशनगंज जिला में कार्यरत प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियाँ की सूचना एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। पत्रांक 284 दि0 15.02.2018 द्वारा स्मारित किया गया है। प्रतिवेदन अप्राप्त। **(समीक्षा– सहायक निबंधक, बुनकर सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना)**	दिनांक 19.07.2017 को श्री बी0के0 शुक्ला, गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी, वस्त्र समिति, वाराणसी द्वारा हैण्डलूम मार्क स्कीम की जानकारी विभागीय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों / कर्मचारियों को दी गई थी। श्री शुक्ला द्वारा प्राप्त हैण्डलूम मार्क स्कीम पी0पी0टी0 की प्रति विभागीय वेबसाईट पर पत्रांक 1033 दिनांक 01.08.2017 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों के अवलोकनार्थ प्रकाशित किया गया था। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना द्वारा राज्य संघ को हैण्डलूम मार्क से निबंधित कराये जाने के संबंध में सभी आवश्यक कागजात एवं राशि टेक्सटाईल कमिटी, वाराणसी को भेजे जाने की सूचना दी गई है। आज की बैठक में खगड़िया जिला के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, श्री संजीव कुमार द्वारा कटिहार जिला के दो हस्तकरघा बुनकरों के प्राप्त आवेदन के क्रम में स्थल निरीक्षण का कार्य पूर्ण हो जाने एवं खगड़िया जिला में 1 बुनकर का हैण्डलूम मार्क निबंधन हेतु प्राप्त आवेदन को अनुशंसित कर टेक्सटाईल कमिटी, वाराणसी कार्यालय में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे जाने की सूचना दी गई। अन्य जिला से प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। **(*अनुपालन*– सहायक निबंधक बुनकर सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना)**

6	हस्तकरघा सामान्य सुविधा केन्द्र	इस योजनान्तर्गत अधिकांश जिलों के महाप्रबंधक द्वारा राशि प्रत्यार्पित कर दी गई है। भागलपुर/रोहतास एवं नालन्दा द्वारा योजना की कार्रवाई की जा रही है। क्रय समिति के गठन हेतु संचिका उपस्थापित है।	नालन्दा जिला के नेपुरा में सामान्य सुविधा केन्द्र के अधिष्ठापन हेतु अधिग्रहित पर्यटन भवन के मरम्मति हेतु 7,20,000/– (सात लाख बीस हजार) रूपये के भेजे गये प्राक्कलन प्रस्ताव के आलोक में राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा द्वारा किया गया। मशीन उपकरण के क्रय हेतु क्रय समिति गठित करने का अनुरोध महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा एवं भागलपुर द्वारा किया गया। अन्य जिला में योजना राशि प्रत्यर्पित कर दिये जाने के पश्चात् डी0सी0 विपत्र सभी मूल अभिश्रवों के साथ निदेशालय को भेजने का निदेश दिया गया। *(अनुपालन– संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र)*
7	वूलेन स्पीनिंग, फिनिशिंग एवं कॉटन पुनी प्लांट की स्थापना	डेहरी ऑन सोन, रोहतास में इंटिग्रेटेड वूलेन स्पीनिंग, फिनिशिंग एवं कॉटन पुनी प्लांट की स्थापना के लिए कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा) को डी0पी0आर0 शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए निदेशालय पत्रांक 1680 दि0 24.11.2017 को पत्र दिया गया परन्तु उनके पत्रांक 109/पी0डी0ए0 दि0 16.01.2018 को भूमि के अद्यतन स्थिति के संबंध में निदेशालय से जानकारी की माँग की गई है जबकि पूर्व में भूमि उपलब्ध संबंधी कागजात उनके द्वारा उपलब्ध निदेशालय को कराया गया है। वस्तुतः भूमि संबधित कार्य उनके कार्यक्षेत्र में आता है। अतएव दूरभाष पर कार्यपालक अभियंता, (आयडा) से भूमि संबंधी संबंधित आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।	आयडा के प्रतिनिधि के रूप में सहायक अभियंता से डी0पी0आर0 के संबध में स्पष्ट रिर्पोट निदेशालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
8	मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के समरूप नई योजना	वर्ष 2016–17 में बुनकरों एवं रंगरेजों का वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध निकासी की गई राशि एवं व्यय की गई राशि की अद्यतन स्थिति (अनुसूची–I)। (प0 चम्पारण, औरंगाबाद एवं गया से प्रतिवेदन अप्राप्त)।	उप विकास पदा0(वस्त्र), भागलपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि नये करघे क्रय करने एवं कर्मशाला निर्माण हेतु बुनकरों का चयन कर लिया गया है। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना द्वारा अवगत कराया गया कि 173 कर्मशाला निर्माण एवं एक नये करघे क्रय करने हेतु बुनकरों के चयन की प्रक्रिया की जा रही है। 20 मार्च तक चयन की प्रक्रिया पूरी करते हुए बुनकरों को राशि उपलब्ध कराई जाय। *(अनुपालन– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना)*
9	प्रशिक्षण	आठ बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, उत्पादन एवं बिक्री की समीक्षा (अनुसूची–II)	बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों को अपग्रेड करने हेतु सभी संबंधित महाप्रबंधक/उप विकास पदा0(वस्त्र) प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।
10	बुनकर छात्रवृति योजना	वर्ष 2017–18 में नालन्दा, पटना छोडकर किसी भी जिले से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुये है।	बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों के पदाधिकारी से अविलम्ब बुनकर छात्रवृति हेतु छात्र–छात्राओं का चयन कर प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराये।
11	बुनकर ऋण माफी योजना से संबंधित लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र	**(अनुसूची–II 'क')**	समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बुनकर ऋण माफी योजना वर्ष 2006–07 के तहत जिन जिलों को राशि उपलब्ध कराई गई है, उनमें से 27 जिलों के जिलाधिकारी को उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अप्राप्त है। संबंधित जिलों के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को जिलावार उपलब्ध कराई गई राशि की जानकारी दी गई तथा जिलाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC 42A में प्राप्त कर निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। *(अनुपालन– महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, अरवल/औरंगाबाद/बक्सर/ भोजपुर/कैमूर/पटना/नवादा/रोहतास/खगड़िया/जमुई/भागलपुर/ गया/किशनगंज/अररिया/कटिहार/सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/ दरभंगा/ मधुबनी/बांका/सीतामढ़ी/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण/मुजफ्फरपुर/ गोपालगंज/वैशाली)*

	पावरलूम प्रक्षेत्र–		
1	विद्युतकरघा पर यूनिक आईडेन्टिफिकेशन संख्या उत्कीर्ण करने की योजना	विद्युतकरघा सर्वेक्षण हेतु विहित प्रपत्र का मुद्रण, धातु का स्टाम्प एवं हथौडी का क्रय महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर द्वारा कर ली गई है। दूरभाष पर दिये गये विद्युतकरघा पर यू0आई0डी0 संख्या उत्कीर्ण करने से संबंधित प्रतिवेदन (अनुसूची–III) संलग्न।	निदेश दिया गया की विद्युतकरघा सर्वेक्षण का कार्य 20 मार्च तक पुरा करते हुए प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध करायें। **(अनु0–सभी संबंधित महाप्रबंधक)**
2	विद्युतकरघा उन्नयन की योजना	1. उप विकास पदा0 (वस्त्र), गया से प्रतिवेदन अप्राप्त। 2. उप विकास पदा0 (वस्त्र), भागलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन (अनुसूची–IV) संलग्न।	उप विकास पदा0 (वस्त्र) गया द्वारा अवगत कराया गया की राशि कोषागार में जमा कर दी गई है। प्रतिवेदन जल्द से जल्द निदेशालय को उपलब्ध करा दी जायेगी। **(अनु–उप विकास पदा0(वस्त्र), गया एवं भागलपुर)**
3	विद्युत अनुदान की योजना	वित्तीय वर्ष 2017–18 में 220.00 लाख बिहार राज्य पावर वितरण कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराई गई है अभी तक 754 विद्युतकरघा इकाईयों को 207.53 लाख रू0 भुगतान किया गया है। गया जिला के विद्युतकरघा बुनकरों को बकाया विद्युत अनुदान 10.56 करोड की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। – ऊर्जा विभाग द्वारा भागलपुर में कैम्प लगाकर भागलपुर के विद्युतकरघा बुनकरों को नया कनेक्शन दिया जाना है। एक मीटर (घरेलू) के लिए होगा तथा दूसरा मीटर विद्युतकरघों के ईकाई हेतु। दि0–20.02.2018 को प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में 2303 कनेक्शन दिया जा चुका है।	गया जिला के विद्युतकरघा बुनकरों को बकाया विद्युत अनुदान 10.56 करोड रू0 की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर के विद्युतकरघा बुनकरों के लिए नये विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सं0–5171, मीटर अधिष्ठापित की सं0–2303 एवं बिलिंग साइकिल की सं0–1462 है।
4	गया जिले में कॉमन ई0टी0पी0 की स्थापना	गया जिले मे रंगाई कार्य से हो रहे जल प्रदूषण की समस्याओं के समाधान हेतु कॉमन ई0टी0पी0 की स्थापना। गया जिला में एक कॉमन ई0टी0पी0 की स्थापना करने का लक्ष्य है। गया में पॉच एकड़ भूमि जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिसके आलोक मे निदेशालय द्वारा आवंटित भूमि पर कॉमन ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु निदेशालय स्तर से सहमति संसूचन करने की कार्रवाई की गई।	गया जिले में आवंटित भूमि पर कॉमन ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु निदेशालय स्तर से सहमति संसूचन जिला पदा0, गया को उपलब्ध कराते हुए प्रतिलिपि महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया को उपलब्ध करा दी गई।
	केन्द्र प्रायोजित योजना		
1	बुनकर मुद्रा योजना	प्रधानमंत्री बुनकर मुद्रा योजनान्तर्गत कुल 17 जिलों में लक्ष्य 4230 के विरूद्ध अब तक 1740 आवेदन पत्र बैंक को अनुशसित है जिसकी राशि 1650.10 लाख रू0 है। अब तक वितरित मुद्रा कार्ड 110 है जिसमें राशि 71.80 लाख रू0 वितरित किया जा चुका है। मधुबनी / औरंगाबाद / नवादा / सिवान / प0 चम्पारण में मुद्रा कार्ड वितरित नहीं हुआ है। (अनुसूची–IV)	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा बैंको को अनुसंशित किये गये आवेदन पत्र एवं वितरित मुद्रा कार्ड की धीमी गति पर निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम द्वारा असंतोष जाहिर किया गया। सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को संबंधित बैंक से सम्पर्क कर अधिक से अधिक मुद्रा ऋण विमुक्त किये जाने का निदेश दिया गया। *(अनुपालन– संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र)*

2	भागलपुर मेगा हैण्डलूम कलस्टर	CDE कुल स्वीकृत पद–10 कार्यरत –08	दो CDE पद त्याग कर चले गये है वहाँ के IA को एक माह के अन्दर CDE को नियुक्ति करने का निदेश दिया गया है।
		Textile Designer & Marketing Excutive कुल स्वीकृत पद–06 कार्यरत –04	दो Textile Designer पद त्याग कर चले गये है। निफ्ट, पटना इस संबंध में WSC भागलपुर से सम्पर्क कर पैनल तैयार करेंगे। **(अनु0–IA/निफ्ट एवं WSC भागलपुर)**
		Training programme ट्रेड लक्ष्य उपलब्धि बुनाई–26 10 रंगाई–15 10 डिजाईन–10 08	WSC भागलपुर को लम्बित प्रशिक्षण कार्य शीघ्र पुरा करने हेतु निदेशित किया गया है।
		Technology Upgradation (a) टेकप ऑप मॉशन–50 जैकार्ड– 05 डॉबी–330 नया लूम–420 हिल्ड, रिड– 187 वॉरपिंग मशीन–08 (b) फ्रेम लूम 68" 60" के स्थान पर बुनकरों के मांग के अनुरूप 68" के फ्रेम लूम उपलब्ध कराया जाना है। इस निमित वस्त्र मंत्रालय से संशोधित प्रस्ताव की मांग की गई है।	निफ्ट, पटना को Cluster wise संशोधित प्रस्ताव तैयार कर दि0–28.03.2018 उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
		Lighting unit लक्ष्य –488 वितरित–379 शेष–109	सभी IA को एक माह के भीतर शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किये जाने हेतु निदेशित किया गया है। नोडल पदाधिकारी भागलपुर को निदेश दिया गया है कि एक माह के भीतर शत् प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य सुनिश्चित हो, इस संबंध मे कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
		MIS	WSC भागलपुर को इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने हेतु निदेशित की गया है। ताकि MIS प्रतिवेदन अद्यतन हो जाय। साथ ही प्रत्येक माह मे प्रतिवेदन वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चत की जाय। नोडल पदाधिकारी भागलपुर को भी निदेशित किया गया है कि MIS प्रतिवेदन अद्यतन की जाय।
		CFC लक्ष्य –10	(i) भारत सरकार द्वारा निर्धारित Format मे Layout तैयार करने का निदेश निफ्ट, पटना को दिया गया है। (ii) सभी CFC का नक्शा भी निफ्ट, पटना को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित दिया गया है। (iii) सभी IA को जमीन से संबंधित अभिलेख/कागजात उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया है।
		(a) Dye House (katoria) (i) Layout Plan (ii) Estimate (iii) विशिष्ट तकनीकी सलाह (iv) NOC from Pollution Control Board. (v) Permission of Local authority for setting up of dye house	निफ्ट, पटना को Layout Plan उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है। भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग को Estimate तैयार कर अनुरोध किया जा रहा है। निफ्ट, पटना को NITRA से सम्पर्क स्थापित कर अपेक्षित कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया है। संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा NOC प्राप्त हो गया है। संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा Local authority से Permission प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। संबंधित अंचालाधिकारी द्वारा भूमि का सत्यापन करा लिया गया है।

		(b) Dye House (Bhagalpur)	भागलपुर क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ के लिए स्वीकृत डाई हाउस का प्रस्ताव भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय को भेजा गया है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में भारत सरकार द्वारा छः बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की माग की गई है। निफ्ट, पटना से वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है।
		Design Studio & Product Development (i) केन्द्रांश / राज्यांश की स्वीकृति (ii) भवन निर्माण हेतु Agency मे बदलाव (iii) भूमि का सत्यापन	केन्द्राश राशि 28.56 लाख प्रथम किस्त के रूप में IA को उपलब्ध है। स्वीकृत्यादेश सं0–1139 दि0–16.03.18 द्वारा राज्याश राशि 17.84 लाख की स्वीकृत भी प्राप्त हो गई है। पूर्व में भवन निर्माण हेतु IA के रूप में IDA को चयन किया गया। अब भवन निर्माण विभाग को भवन निर्माण हेतु IA के रूप में प्राधिकृत किया जा रहा है। अंचलाधिकारी से भूमि का सत्यापन कराने हेतु निदेशालय स्तर से स्मारित किया गया है। इस संबंध में नोडल पदाधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर अंचलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर रहें है।
		Design Research & Market Linkage वस्त्र मंत्रालय को भेजे गये प्रस्ताव पर की गई पृच्छा	इस संबंध मे निफ्ट, पटना से शीघ्र सशोधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
3	प्रखण्ड स्तरीय कलस्टर (एन0एच0डी0पी0) के गठन की योजना	1. जॉचोपरान्त भागलपुर एवं बांका जिला में ब्लॉक लेवल कलस्टर के गठन का प्रस्ताव त्रुटिरहित कर सभी वांछित दस्तावेजों को सत्यापित करते हुए ऑनलाइन प्रस्ताव समर्पित करने एवं उसकी हार्ड कॉपी की एक प्रति उपलब्ध कराने का निदेश दिनांक 03.01.2018 को आयोजित समीक्षा बैठक में दिया गया है। जो अप्राप्त है। (समीक्षा– सहायक निबंधक, बुनकर सहयोग समितियॉ, गुलजारबाग, पटना)	जॉचोपरान्त प्रस्ताव ऑनलाईन समर्पित करते हुए उसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। (अनुपालन– सहायक निबंधक, बुनकर सहयोग समितियॉ, गुलजारबाग, पटना)
		2. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा को नवादा ब्लॉक कलस्टर के लाभुकों का भौतिक जॉच एवं कलस्टर का स्थल निरीक्षण करते हुए भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दि0 03.01.18 को आयोजित समीक्षा बैठक में दिया गया है। प्रतिवेदन अप्राप्त। (समीक्षा– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा)	जॉचोपरान्त एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। (अनुपालन– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा)
		3. आई0ए0 नवादा ब्लॉक कलस्टर को कलस्टर का अद्यतन प्रतिवेदन, कर्मशाला निर्माण हेतु 16 बुनकरों की विवरणी एवं निर्माण कार्य की प्रगति की अद्यतन स्थिति संबंधित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दि0 03.01.18 को आयोजित समीक्षा बैठक में दिया गया है। प्रतिवेदन अप्राप्त। (समीक्षा– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा / आई0ए0 गोपालगंज सिल्क प्रोडक्ट्स प्राईमरी को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, कादिरगंज, नवादा)	जॉचोपरान्त एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। (अनुपालन– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा / आई0ए0 गोपालगंज सिल्क प्रोडक्ट्स प्राईमरी को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, कादिरगंज, नवादा)

4	सामाजिक सुरक्षा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना / महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना	योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18–50 वर्ष की आयु के बुनकर एवं महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना 51–59 वर्ष की आयु के बुनकरो को शामिल करते हुए बिमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को विहित प्रपत्र में बुनकरों का प्रस्ताव भेजने हेतु पत्र प्रेषित है।	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18–50 वर्ष एवं महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना में 51–59 वर्ष की आयु के बुनकरों को भारतीय जीवन बीमा निगम, पटना द्वारा बीमित किया जाना है। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि 60 वर्ष से ऊपर की आयु के बुनकरों को भी योजना में शामिल करते हुए जीवन बीमा कराया जाय। इस संबंध में वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्गत दिशा–निर्देशानुसार सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.06. 2017 से प्रभावी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18–50 वर्ष की उम्र सीमा एवं 51–59 वर्ष की उम्र सीमा के ग्रुप को महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना के अन्तर्गत रखा गया है। प्रस्तुत योजना का ऑकडा (एनेक्चर–1) (विहित प्रपत्र) में संकलित कर क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय जीवन निगम, पटना को भेजा जाएगा। 18–50 वर्ष की उम्र के ग्रुप एवं 51–59 वर्ष की उम्र सीमा के ग्रुप का ऑकडा अलग–अलग प्रपत्र में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में भेजा जाएगा। सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को पुनः योजना का दिशा–निर्देश एवं विहित प्रपत्र (एनेक्चर–1) भेजा जा रहा है। *(अनुपालन– संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र)*

अन्त में बैठक सघन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/–
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0 (मासिक बैठक)– 01/2016 .... पटना/दिनांक– ....
प्रतिलिपि– सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0 (मासिक बैठक)– 01/2016 683 पटना/दिनांक– 13.4.18
प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12.04.18
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

(1)